

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उन्वान रामबाबू बनाम जे.डी.ए.

मुकदमा संख्या- 182/2010 रामबाबू बनाम जे.डी.ए. 18/10/19

15/09/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उक्त पत्रावली दिनांक 23.11.15 को पारित सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम न्यायालय के निर्णय की पालना बाबत है परन्तु उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि 182/2010 रामबाबू बनाम जे.डी.ए के निर्णय दिनांक 23.11.15 को माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 18.10.19 को निरस्त कर दिया गया व उसके विरुद्ध की गई राजस्व मंडल (डबल बैंच) नजरसानी अपील भी खारिज हो चुकी है।

अतः मूल निर्णय वाद 182/2010 दिनांक 23.11.15 के खारिज होने से इजराय संभव नहीं है। अतः यह इजराय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर

जयपुर शहर प्रथम

